न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/494

कल्याण आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 908 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी व उसके पिता ने नोतोड से फाडकर आबाद किया था तब से अर्थात् 30–40 वर्षो से पूर्व से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का पिछले 30–40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त होने तथा 09.08.2018 का नकल प्राप्त होने के पश्चात् उक्त अपील पेश की गई है । अपील पेश करने में यदि किसी प्रकार का विलम्ब माना जाता है तो उसे क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि को अपीलान्ट एवं उसके पिता ने नोतोड से फाडकर आबाद किया था तब से अर्थात् 30–40 वर्षो से पूर्व से वादी अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होते हुए उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटित कर दी गई जिस पर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए आवंटन खारिज किया गया था और अपीलान्ट को प्राथमिकता दिये जाने का आदेश पारित किया था । निर्णय लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का अनुतोष चाहता है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालाफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 11.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वह उचित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर वादी अपीलान्ट ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद पेश किया है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालाफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/494

कल्याण आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

——**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 254/दावा/2011

कल्याण आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री धीरेन्द्र चौधरी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा